-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.03.26

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 227 ग्राम अवैध चरस बरामद।

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है । व शासन द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है ।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा पाईनवुड स्कूल के सामने चाय की दुकान से अभियुक्त सलमान पुत्र शकूर निवासी ग्राम चुनहेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 227 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 89/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सलमान पुत्र शकूर निवासी ग्राम चुनहेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण-

227 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर
3.है0का0 158 अमित कुमार थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर
4.है0का0 1214 प्रदीप कुमार थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर
5.का0 1011 मोहित सरोहा थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरफ्तार,कब्जे से 01 मोटरसाइकिल व 01 मोबाईल फोन बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.12.2025 को वादी श्री जसवीर सिंह पुत्र स्व0 करेशन सिंह निवासी अहमदपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत मोटर साईकिल एचएफ डीलक्स नं0-युपी-11-बीएक्स 1189 व मोबाईल सैमसंग की पैड को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 640/25 धारा-303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चकवाली मुण्डीखेडी नहर मार्ग पर मुण्डीखेडी चौराहे से अभियुक्त **शहजाद पुत्र हाजिर मूल निवासी ग्राम शकलापुर बेहट रोड थाना कोतवाली देहात स0पुर हाल निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी स0पुर** को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा CD 100 व 01 मोबाइल फोन HMD कम्पनी का बरामद हुआ। मुकदमा उपरोक्त मे बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(5)/318(4)/336(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को समय मा0 न्यायाल के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिसम्बर महीने मे रात मे ग्राम अहमदपुर मे एक घर मे घुसकर एक मोटर साईकिल हीरो HF डीलक्स चोरी कर ली थी तथा घर मे ही चारपाई पर रखा यह मोबाईल HMD कम्पनी सिम सहित चोरी कर लिया था तथा उस चोरी की हुई HF डीलक्स मोटर साईकिल का इंजन, दोनो टायर व एलाँय व्हील,दोनो शोकर,आगे का हैण्डल टी, ऊपर का पूरा हैण्डिल, मीटर,कारबोरेटर,बैटरी,पिछला चिमटा, फुट रैस्ट, पूरा चैन सैट,टूल बाँक्स मैने इस हीरो होण्डा CD100 मोटर साईकिल मे लगवा लिये थे मैने यह हीरो होण्डा CD100 मोटरसाईकिल भी काफी महीनो पहले सहारनपुर से घण्टाघर के पास से चोरी की थी और इसका इंजन व अन्य सामान मैने चलते फिरते कबाडी को बेच दिया था और इसका चेसिस अपने पास ही रख लिया था पकडे जाने के डर से इसके चैसिस का भी मैने नम्बर घिस दिया था मैने कम पैसो मे यह हीरो होण्डा CD100 मोटर साईकिल चालू हालत मे करने की नीयत से हीरो HF डीलक्स चोरी कर उसका सामान इस मोटर साईकिल मे लगवा लिये थे और पकडे जाने के डर से धोखा देने की नीयत से अपने बचाव के लिये मैने उस HF डीलक्स मोटर साईकिल के इंजन नम्बर को घिस दिया था। तथा चोरी की हुई उस HF डीलक्स मोटर साईकिल के चेसिस को भी घिस कर अन्य पार्टस सहित चलते फिरते कबाडी को बेच दिये थे। इस मोबाईल मे चल रहे सिम को मैने तोडकर फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शहजाद पुत्र हाजिर मूल निवासी ग्राम शकलापुर बेहट रोड थाना कोतवाली देहात स0पुर हाल निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी स0पुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा CD 100 रंग लाल बिना नम्बर प्लेट
- 01 मोबाइल फोन HMD कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी थाना रामपुर मनिहारान
2. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना रामपुर मनिहारान
3. का0 1441 अजीत नैन थाना रामपुर मनिहारान

-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा मात्र 11 घंटे मे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 8100/- रूपये बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.03.2026 को वादी **की तहरीर पर** थाना देवबंद पर मु0अ0स0 मु0अ0सं0- 159/2026 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात द्वारा 22000/- रू चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर चोरी की घटना का अनावरण करने हेतु शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मात्र 11 घण्टे में सफल अनावरण कर मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त **अमजद पुत्र मोहसीन निवासी गुज्जरवाडा कस्बा व थाना देबबन्द जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार कर 8100/- रूपये बरामद किये। बरामदगी के आधार पर 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अमजद पुत्र मोहसीन निवासी गुज्जरवाडा कस्बा व थाना देबबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 8100/- रूपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रोबिल्स कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1306 दीपक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. HG 2112 प्रदीप त्यागी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक: 06.03.2026

-प्रेस नोट-

थाना नानौता पुलिस द्वारा सोशल मीडिया/इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियों वायरल करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा सोशल मीडिया/इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियों वायरल करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 46/26 धारा 353(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.03.2026 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाले **03 अभियुक्तगण 1. रुद्राक्ष पुत्र कृष्ण सिंह निवासी मिल कॉलोनी, थाना नानौता सहारनपुर, 2. प्रशांत पुत्र राम करण निवासी मुस्कीपुर थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर व 3. अमित राणा पुत्र सुशील राणा निवासी मोरा थाना बड़गांव सहारनपुर** की पहचान करते हुए अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. रुद्राक्ष पुत्र कृष्ण सिंह निवासी मिल कॉलोनी, थाना नानौता सहारनपुर
2. प्रशांत राणा पुत्र राम करण निवासी मुस्कीपुर थाना बड़गांव सहारनपुर
3. अमित राणा पुत्र सुशील राणा निवासी मोरा थाना बड़गांव सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी थाना नानौता सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री जसपाल सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 1315 राहुल थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 106 विक्रान्त मान थाना नानौता जनपद सहारनपुर*